प्रकरण संख्या–16 / 2020 GCMS ID-2020/00074 तारीख रजु–26.08.2020

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामकेश पुत्र मोहन आयु 19 साल जाति मीना निवासी सैमरदा तहसील व जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र मोहन आयु 25 साल
2. सीमा पुत्री मोहन आयु 23 साल
3. अमरबाई पत्नि मोहन आयु 55 साल
4. मानसिंह पुत्र मोहन आयु 21 साल
5. फोरो पुत्री मोहन आयु 27 साल

   सभी जाति मीना निवासी सैमरदा तहसील व जिला करौली राज.
6. तहसीलदार, तहसील करौली जिला करौली – प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील करौली बाबत् विरासत नामांतरकरण सं. 397 दिनांक 31.12.2001 तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

निर्णय दिनांक–23.11.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार करौली द्वारा पारित विरासत नामांतरकरण संख्या 397 दिनांक 31.12.2001 में अपीलार्थी का नाम रामकेश के स्थान पर जतनसिंह दर्ज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 31.12.2001 अदालत मातहत रेस्पोण्डेण्ट नं. 6 तहसीलदार तहसील करौली खिलाफ कानून, रूऐदाद मिसल, आरबिट्रेरी व परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट का नाम रामकेश के स्थान पर जतनसिंह बिना सुनवाई का अवसर नोटिस दिये दर्ज किया है। कोई सजरा पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार करौली द्वारा नहीं लिया गया है और एक ही दिन में सारी कार्यवाही की जाकर जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रामकेश है। अपीलाण्ट के समस्त कागजात दशवीं की अंकतालिका, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, दशवीं बोर्ड सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समस्त डॉक्यूमेंट इसी नाम से हैं। अपीलाण्ट का नाम जतनसिंह नहीं है। अपीलाण्ट के पिता मोहन की मृत्यु पश्चात् विरासत नामांतरकरण भरते समय अपीलाण्ट का नाम जतनसिंह दर्ज कर दिया था। उस वक्त अपीलाण्ट नाबालिग था। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामांतरकरण संख्या 397 दिनांक 31.12.2001 निरस्त किया जाकर सही नामांतरकरण पुनः भरवाकर सही नाम दर्ज करवाये जाने योग्य है। अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट सं. 4 मानसिंह व रेस्पोण्डेण्ट नं. 5 फोरो नाबालिग से बालिग हो चुकी हैं जिनका नाम नाबालिग से बालिग का भी नामांतरकरण खुलवाने के आदेश प्रदान करें। अपीलाण्ट को जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 18.08.2020 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड देखने पर हुई जिसकी जमाबंदी की नकल दिनांक 18.08.2020 को प्राप्त की गई फिर नकल नामांतरकरण की नकल दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से अपील 30 दिवस मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 31.12.2001 से 25.08.2020 तक की अवधि को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किया जाना

जिला कलक्टर
करौली

न्यायोचित है जिसे क्षम्य किये जाने बाबत् दरख्वास्त दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलाण्ट रामकेश अपना नाम शुद्ध कराना चाहता है जिसमें हम रेस्पोण्डेण्ट सं. 1 लगायत 5 को काई ऐतराज व आपत्ति नहीं है। अपना नाम शुद्ध करा सकता है। अपीलाण्ट का सही नाम रामकेश है। रामकेश नाम से ही जाना जाता है। अंत में दरख्वास्त अनापत्ति पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार करौली ने पत्रांक एल.आर. / 2020 / 3838 दिनांक 18.09.2020 से अवगत करवाया है कि अप्रार्थी (जतनसिंह) के गांव में जॉच करने पर अप्रार्थी का नाम रामकेश मीना होना बताया। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज रामकेश मीना के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थी का नाम अपने पिता के वारिसान में आया है जिसकी नामांतरकरण संख्या 397 प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में मजले आम व जांच कर खोला गया था, जो नामांतरकरण प्रार्थी के नाम से खोला गया था उस समय लगभग दो–चार माह का रहा होगा जिससे इसका नाम जतनसिंह रिकॉर्ड में चढ़वा दिया होगा। वर्तमान में इनके वारिसान में दस्तावेज / मौके पर जांच करने पर जतन सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मानसिंह, फोरा व अप्रार्थी स्वयं बालिग हो गये हैं।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। नामांतरकरण संख्या 397 दिनांक 31.12.2001 में जतनसिंह पुत्र मोहन नाबालिग दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र, माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका वर्ष 2016 रोल नं. 2369807, जाति प्रमाण पत्र, राशनकार्ड संख्या 007679400343, पैनकार्ड संख्या FJQPM7356M आधार कार्ड संख्या 790268457415 आदि में अपीलार्थी का नाम रामकेश मीना पुत्र श्री मोहन लाल मीना ही दर्ज है, उक्त अंकतालिका, राशनकार्ड व नामांतरकरण में अपीलार्थी की माता का नाम भी अमरबाई ही दर्ज है किन्तु उक्त अंकतालिका, पैनकार्ड एवं आधार कार्ड में अपीलार्थी की जन्म दिनांक 07.08.2002 अंकित है जबकि विवादित नामांतरकरण संख्या दिनांक 31.12.2001 को ही स्वीकृत हो चुका था। इससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी श्री मोहनलाल मीना एवं अमरबाई का पुत्र है किन्तु यह विदित नहीं होता है कि अपीलार्थी का जन्म 31.12.2001 से पूर्व हुआ था या नहीं अथवा जतनसिंह ही रामकेश है या जतनसिंह अलग व्यक्ति है? उक्त तथ्यों की जांच किये जाने हेतु हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार करौली को रिमाण्ड की जाती है एवं निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली